संख्याः 1458 /I/2006-04(1)/34/06

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादूनः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में नई/पुरानी लघु/वृहद जल विद्युत परियोजनाओं के डी.पी.आर. हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनाबंटन हेतु आपके प्राप्त विभिन्न पत्रों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्दप्रयाग–लंगासू, तमक–लता, सिरकारी भ्योल–रुपसियाबगड़, सेला–ऊर्थिंग, तालुका–सांकरी, ऋषिगंगा–1, ऋषिगंगा–2, भैरवघाटी, बावला–नन्दप्रयाग, आराकोट–त्यूनी एवं त्यूनी–पलासू नई वृहद/मध्यम जल विद्युत परियोजनाओं के लिए डी0पी0आर0 बनाने हेतु रु0 15.00 करोड़ (रु0 पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय करने के लिये आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– जिन परियोजनाओं के लिये अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त हो जायेगी उन परियोजनाओं में इस धनराशि से आवंटित की जाने वाली धनराशि को शासन को वापस कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्रत्येक माह शासन को दे दी जायेगी।

3– उक्त धनराशि से प्रशासनिक व्यय नहीं किया जायेगा और केवल डी0पी0आर0 बनाने पर व्यय किया जायेगा।

4– डी0पी0आर0 बनाये जाने वाली परियोजनाओं का धनराशिवार/मदवार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और इस धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं प्रस्तर 4 का विवरण देने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

6– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु जो भी धनराशि व्यय होगी, उसे परियोजना की लागत में सम्मिलित किया जायेगा। इसी प्रकार परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नियोजन में व्यय की गई धनराशि को भी परियोजना लागत में सम्मिलित किया जायेगा।

7– उक्त वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं पर नयी परियोजनाओं का अनुसंधान एवं नियोजन मद में शासन द्वारा यूजेवीएनएल को उपलब्ध कराई गई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी तथा अब तक यदि कोई धनराशि व्यय की गई हो तो उसे यथोचित स्थानान्तरण से समायोजित किया जायेगा।

8– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है। धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके यथा आवश्यकता ही इस हेतु निष्पादित एम0ओ0यू0 की शर्तो के अनुसार ही किया जायेगा तथा इसकी सूचना शासन को भी दी जायेगी।

.....2

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही प्रत्येक परियोजना के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा।

10– परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार कर लिये जाने के उपरान्त प्रत्येक परियोजना पर सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नियोजन सहित हुये सम्पूर्ण व्यय का परियोजनावार विवरण एवं उपयोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 2801–बिजली–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–03–परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारी तथा रिपोर्टिंग हेतु व्यय–00–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 893/XXVII(2)/2006, दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 1458 /I/2006-04(1)/34/06 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून, उत्तरांचल।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7– नियोजन विभाग,
8– वित्त अनुभाग–2,
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव